

## **INSTRUCTION FOR STUDENT AT THE TIME OF ADMISSION**

छात्रों के लिए नीचे आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। छात्र डॉउनलोड (Download) कर नामांकन करने के पूर्व इसे अवश्य पढ़ लें।

- (1) नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को मात्र एक बार Slide up करने का अवसर मिलेगा। अन्तिम selection list में selected छात्रों को Slide up का मौका नहीं मिलेगा।

Slide up का अर्थ है कि छात्र ने प्राथमिकता (Priority) के आधार पर जिन कॉलेजों को चयनित कर सूचीबद्ध किया है। अगर 1st selection list में छात्र का चयन 10वें Priority वाले कॉलेज में होता है लेकिन छात्र कम से कम 7th Priority वाला कॉलेज चाहता है, ऐसी स्थिति में छात्र 10वें Priority वाले कॉलेज में नामांकन न लेकर 7th Priority वाले कॉलेज के लिए पुनः आवेदन करेंगे। इसे Slide up कहा जाता है।

Slide up के बाद छात्र को यह निश्चित नहीं रहेगा कि उनके द्वारा अपेक्षित महाविद्यालय आवंटित हो ही जाय। इस परिस्थिति में नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।

- (2) Admission Portal पर सभी महाविद्यालय के सभी विषयों का CUT OFF दिखता रहेगा। अतः Portal से ही छात्र अपने selection का पता लगा पायेंगे और अपना ऑफर लेटर Download करके उक्त महाविद्यालय में नामांकन के लिए जायेंगे।

- (3) छात्र द्वारा आवेदन में Fill up अंक (marks) के आधार पर मैरिट लिस्ट (Merit list) तैयार किया जाता है, अगर नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने के वक्त अंकों में अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

- (4) छात्र द्वारा आवेदन में fill up किये गये Caste and Category को आधार मान कर मैरिट लिस्ट (Merit list) तैयार कर छात्रों का selection list जारी किया गया है, यदि नामांकन के समय मूल Caste certificate and Category से भिन्नता पाये जाने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

- (5) छात्रों के Admission एवं Registration संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटियों का निवारण (correction) कॉलेज द्वारा ही किया जाएगा। इस संबंध में छात्रों को विश्वविद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- (6) Sport Admission के संबंध में विशेष जानकारी 3rd Merit list Admission के बाद विश्वविद्यालय अपने Website के माध्यम से देगा, अर्थात् छात्र 3rd Merit list के बाद Sport Admission के संबंध में Admissiom portal से जानकारी लेते रहेंगे।

- (7) Reservation का लाभ केवल बिहार के छात्रों को मिलेगा अर्थात् बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही Reservation का आधार माना जाएगा।